राष्ट्र महिला

खंड 1 संख्या 173 दिसम्बर 2013 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

सम्पादकीय

चर्चा में शर्मशार कोलकाता

कोलकाता, जिसे एक समय स्त्रियों के लिए सुरक्षित शहर माना जाता था, में एक अन्य दुष्कर्म की घटना से एक युवती की जान चली गई। यहां एक 16-वर्षीय लड़की के साथ दो बार सामूहिक बलात्कार हुआ। पहला, 25 अक्तूबर को माध्यमग्राम में और अगले दिन पुलिस स्टेशन से वापस लौटते समय रास्ते में। उस लड़की को पुलिस शिकायत वापस लेने के लिए कई सप्ताह तक धमकियां दी जा रही थीं। अभियुक्त से बचने के लिए उसके परिवार ने मकान भी बदल दिया था, पर हाल ही में गुंडों ने उसके घर में धावा बोल दिया और उस लड़की को जलाकर मौत के घाट उतार दिया।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने माध्यमग्राम घटना का संज्ञान लेते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को उनकी सरकार से उक्त घटना की रिपोर्ट एक सप्ताह में प्रस्तुत करने को कहा है।

निश्चित रूप से, हाल के समय में पश्चिम बंगाल में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में वृद्धि हुई है, और हाल की घटना दिल्ली में हुई घटना जितनी ही क्रूरतापूर्ण है। एक अन्य घटना पश्चिम बंगाल में बारासत स्थित कमदुनी में हुई जिसने व्यापक जन आक्रोश को जन्म दिया।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, पश्चिम बंगाल की स्थिति बड़ी दुविधापूर्ण रही है - लगातार दो वर्षों में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की सर्वाधिक घटनाएं। यहां वर्ष 2011 में महिलाओं के विरुद्ध 29,133 घटनाएं दर्ज हुईं जो वर्ष 2012 में बढ़कर 30,942 हो गई। इसका अर्थ यह नहीं कि गत वर्षों में महिलाओं के विरुद्ध कोई आपराधिक घटना नहीं हुई, अपितु पिछले दो-तीन वर्षों के दौरान इस प्रकार की हिंसा में तेजी से वृद्धि हुई है, विशेषतः महिलाओं के विरुद्ध अपराध के संदर्भ में पुलिस की असंवेदनशीलता और भावशून्यता से अपराध और भी भयावह हो जाता है।

निष्पक्षतः, ऐसा नहीं है कि पश्चिम बंगाल की पूर्ववर्ती सरकार महिला सुरक्षा का उज्ज्वल उदाहरण थी, परंतु इस बात को लेकर वर्तमान सरकार अपराधियों में भय पैदा करने और पुलिस जवाबदेही सुनिश्चित करने में हुई विफलता से मुँह नहीं मोड सकती। पुलिस अपने स्थानांतरण और निलंबन को देखते हुए किसी भी नेता अथवा सतारूढ़ दल के समर्थकों के खिलाफ़ कोई कार्रवाई शुरु करने में ढ़ील बरतती है।

पश्चिम बंगाल सरकार को महिलाओं और लड़कियों के विरुद्ध अपराधों में हुई चिंताजनक वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए निवारक उपाय करने चाहिए और पुलिस को महिलाओं की सुरक्षा और स्वतंत्रता के बारे में आत्मसंतोष के बोध को त्यागना चाहिए।

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती ममता शर्मा ने 'राष्ट्र महिला' के सभी पाठकों को नववर्ष की बधाईयां दी और महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा और उनकी समस्याओं के शीघ्र समाधान की प्रतिबद्धता दोहरायी।

स्वतः संज्ञान

राष्ट्रीय महिला आयोग ने बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बलात् श्रम के लिए स्त्रियों की तस्करी की घटनाओं की मीडिया में छपी रिपोर्टों का स्वतः संज्ञान लेते हुए इन आरोपों की जांच के लिए एक जांच समिति गठित की। इस समिति ने संबंधित विभागों और मंत्रालयों को 'बलात् श्रम के लिए महिलाओं की तस्करी : सुरक्षित प्रवसन और घरेलु कार्य का नियमन' शीर्षक वाली अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की।

महिला सुरक्षा पर विचार-गोष्ठी

16 दिसंबर को दिल्ली में हुए सामूहिक बलात्कार की पीड़िता को श्रद्धांजलि देने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा 'स्त्रियों और लड़कियों के लिए सुरक्षित सार्वजनिक स्थान' पर एक राष्ट्रीय विचार-गोष्ठी नई दिल्ली में आयोजित की गई।

इस अवसर पर बोलते हुए, मुख्य अतिथि डॉ. गिरिजा व्यास, केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री ने कहा कि यद्यपि देश में अपराधियों को दंडित करने के लिए कठोर कानून बनाए गए हैं, फिर भी सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं पर हमले

डॉ. गिरिजा व्यास उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए।
(नीचे) श्रीमती ममता शर्मा श्रीमती शीला दीक्षित से बात करते हुए

और उत्पीड़न की घटनाएं अभी भी देखने को मिल रही हैं। कोई भी महिला या लड़की अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा कि इस समस्या का समाधान करने के लिए यह जरूरी है कि जन जागरूकता पैदा की जाए, कानूनों को सही तरीके से लागू किया जाए, मीडिया की भूमिका रचनात्मक हो, सिविल सोसायटी की सक्रिय सहभागिता हो और लिंगीय-बजट की व्यवस्था की जाए।

विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित दिल्ली की भूतपूर्व मुख्यमंत्री, श्रीमती शीला दीक्षित ने कहा कि समाज को ही महिलाओं की स्वतंत्रता और गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं को उनकी सुरक्षा के लिए कानूनों की और आवश्यकता नहीं है, परंतु समाज में इन घटनाओं को रोकने का भाव पैदा किया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती ममता शर्मा ने अपने आरंभिक भाषण में कहा कि महिलाओं और लड़कियों के प्रति लोगों की सोच में परिवर्तन लाए जाने की बहुत आवश्यकता है। महिलाओं से संबंधित कानूनों को लागू करने में काफी खामियां हैं, और इस प्रकार, पुलिस और दांडिक न्याय व्यवस्था के पदाधिकारियों में महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता पैदा की जानी चाहिए।

16 दिसंबर को हुई सामूहिक बलात्कार की घटना की वीरांगना को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोग की सभी सदस्या उपस्थित थी। अन्य वक्ताओं में विभिन्न राज्य आयोगों, महिला और बाल विभागों, विश्वविद्यालयों और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे।

श्रीमती ममता शर्मा ने 'सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करना' अथवा 'पितृसतात्मक समाज: सोच में बदलाव' जैसे विषयों पर एक राष्ट्रीय निबंध प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए एक पोस्टर का अनावरण किया।

अध्यक्षा एवं श्रीमती शीला दीक्षित पोस्टर दिखाते हुए और राष्ट्रीय महिला आयोग के अन्य सदस्य उन्हें देखते हुए।

ऊँची सोच

मध्य प्रदेश के देवस जिले के एक गांव में 27-वर्षीय एक दलित महिला अपने पति के घर लौटने के लिए उस समय राजी हो गई जब उसके पति ने अदालत के सामने अपने घर में शौचालय बनाने का वादा किया। शौच कार्य के लिए घर से बाहर जाने पर लज्जित महसूस करने पर सविता नामक इस महिला ने तीन वर्ष पहले अपने दो बच्चों के साथ अपने पति का घर छोड़ दिया था और अपने माता पिता के साथ रहने के लिए चली गई। इसके बाद, अपने पति से मासिक भरण-पोषण के लिए उसने एक स्थानीय अदालत में वाद दायर कर दिया था। उसने अदालत को बताया था कि जब तक समुचित शौचालय नहीं बना दिया जाता, वह अपने पति के घर नहीं जाएगी। उसके पति ने अदालत को यह भरोसा दिलाया कि वह केस में सुनवाई की अगली तारीख अर्थात् 10 जनवरी से पहले अपने घर में समुचित शौचालय बनवा देगा। महिला समुचित शौचालय बनवाए जाने के बाद ही ससुराल जाने को राजी हुई।

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा की गई जांच

सदस्या हेमलता खेरिया ने एक सामाजिक कार्यकर्ता मानसी प्रधान के साथ एक समाचार पत्र में छपी खबर 'ओडीसा में शिक्षिका को जिंदा जलाया, अधिकारियों को दोषी बताया' की जांच की जिसमें एक अज्ञात हमलावर ने ओडीसा जिले के रायगादा जिले की तिकीरी प्राथमिक विद्यालय की एक शिक्षिका पर केरोसीन तेल डाल दिया। यह महिला विद्यालय के छात्रावास में विश्राम कर वापस लौट रही थी। इस घटना की विस्तृत रिपोर्ट 17.12.2013 को प्रस्तुत की गई थी।

बाल विवाह

राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के सम्मेलन हॉल में 'भारत में बाल विवाह संबंधी कानूनों में संशोधन' विषय पर एक चर्चा का आयोजन किया गया। इस चर्चा का उद्देश्य संबंधित मंत्रालयों और हितधारकों के साथ मिलकर भारत में बाल विवाह संबंधी कानूनों से जुड़े हुए मुद्दों के लिए एक मंच प्रदान करना और क्या बाल विवाह को आरंभ से ही शून्य घोषित किया जाए अथवा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के अनुसार ऐसे विवाहों को पक्षकारों के विकल्प पर शून्यकरणीय रहने दिया जाए जैसे मुद्दों का निराकरण करने के लिए सिफारिश देना था।

राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या श्रीमती लालडिंगलिएनी साइलो ने अपने स्वागत भाषण में सरकार को विवाह की न्यूनतम आयु में एकरूपता पर दिशानिर्देश देने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग और दिल्ली महिला आयोग द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई रिट याचिका का हवाला दिया क्योंकि विभिन्न कानून परस्परविरोधी विवाह की आयु व वैधता का उल्लेख करते हैं। उन्होंने कहा कि, चर्चा का विषय था क्या 18 वर्ष से कम आयु में किए गए विवाह को शून्य घोषित किया जाए अथवा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के अनुसार इसे संविदाकारी पक्षकारों के विकल्प पर शून्यकरणीय रहने दिया जाए।

इस अवसर पर बोलते हुए, डॉ. चारु वलीखन्ना ने कहा कि बाल विवाह से लड़कियों के प्राण, स्वास्थ्य, अभेदभाव, समता, शिक्षा, कार्य, आर्थिक स्वायत्तता आदि के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, और कम आयु की लड़कियों को मातृत्व मृत्यु, रुग्णता, यौन हिंसा और तस्करी जैसी घटनाओं का शिकार होना पड़ता है। उन्होंने कहा कि उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन संविदाकारी पक्षकारों के विकल्प पर बाल विवाह को शून्यकरणीय बनाने वाले विद्यमान उपबंध भ्रांतिजनक हैं। उनका यह मानना है कि ऐसे विवाह को 'शून्य' माना जाए।

प्रतिभागियों द्वारा विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, निम्नलिखित बिंदुओं पर सहमति बन पाई : (1) 18 वर्ष से कम आयु में किए गए बाल विवाह को शून्य घोषित किया जाना चाहिए परंतु ऐसा किए जाने के लिए एक निश्चित तारीख तय की जाए। (2) बाल विवाह को शून्य घोषित करने के लिए निश्चित तारीख अधिमानतः 2020 की जाए। (3) विवाह का पंजीकरण अनिवार्य होना चाहिए - इस आशय के प्रमाण पत्र में आयु संबंधी व्यापक ब्योरा दिया जाए। (4) परिवार संबंधी कानूनों, विशेषतः, वैध विवाह की एकरूप आयु संबंधी विवाह अधिनियमों में संशोधन होना चाहिए।

सदस्यों द्वारा किए गए दौरे

❖ सदस्या श्रीमती निर्मला सामंत प्रभावलकर ने 26 और 27 नवंबर, 2013 को 'राष्ट्रीय विधि दिवस' मनाने के लिए इंडियन बार एसोसिएशन के वार्षिक सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने 'महिला सशक्तिकरण और कानून' विषय पर बोलते हुए कहा कि हाल ही में बनाए गए कानूनों का उद्देश्य महिलाओं को समान अवसर व लाभ प्रदान करना है जिसकी वे हकदार हैं। ● सदस्या ने इंदौर जिला कारागार, उज्जैन उप-कारागार, तिरुपति जिला कारागार, वेल्लोर स्थित केंद्रीय महिला कारागार के महिला वार्डों का दौरा किया और महिला कैदियों से मिलकर उनकी जीवन-दशा का जायजा लिया। ● श्रीमती प्रभावलकर ने भारत के मुख्य न्यायाधीश, मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश रंजना देसाई के साथ ठाणे में आल इंडिया फेडरेशन ऑफ लायर्स के राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने कहा कि न्याय जरुरतमंदों, गरीबों और हाशिए पर जिंदगी बसर करने रही महिलाओं की पहुंच से बाहर है। तथापि, न्यायिक सक्रियता और पारिवारिक महिला लोक अदालतों के माध्यम से आज काफी महिलाओं को न्याय मिल रहा है। ● सदस्या ने भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा भुवनेश्वर में 'चुनाव प्रक्रिया में महिलाओं की सहभागिता' विषय पर आयोजित की गई दो-दिवसीय राष्ट्रीय विचार गोष्ठी में भाग लिया। बाद में, उन्होंने भुवनेश्वर स्थित जिला कारागार के महिला वार्ड का दौरा किया। ● आर्थिक रूप से पिछड़ी महिलाओं का साधारण रीति रिवाज के साथ तथा बिना दहेज विवाह करवाने के कार्य में लगी हुई श्री चन्द्र प्रकाशपुरी कल्याण सेवा समिति, खैराबाद, सीतापुर जिला द्वारा आयोजित किए गए एक समारोह में आयोग की सदस्य श्रीमती शमीना शफीक मुख्य अतिथि थी।

❖ श्रीमती शफीक ने महाराष्ट्र तकनीकी संस्थान, पुणे का दौरा किया और 18वें वार्षिक संत ज्ञानेश्वर तुकाराम प्रतिभा व्याख्यान सीरीज-2013 के दौरान 'शांति संस्कृति के माध्यम से समाज के विकास में महिलाओं और

श्रीमती प्रभावलकर (बाएं) बार एसोसिएशन सम्मेलन को संबोधित करते हुए।

श्रीमती शमीना शफीक वर्ल्ड पीस सेंटर, एम.आई.टी., पुणे में व्याख्यान देते हुए। डॉ. एस.एन. पठान, उपाध्यक्ष, आइ.सी.सी.आर. और प्रो. यू.डी. कारद, अध्यक्ष, यूनेस्को चेयरहोल्डर उन्हें देखते हुए।

युवाओं की भूमिका' विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। ● सदस्या ने सांप्रदायिक सौहार्द्रता बढ़ाने के लिए सीतापुर में आयोजित किए गए एक कार्यक्रम 'एक शाम अल्लमा फजल-ऐ-हक खैराबादी के नाम' में भाग लिया। राज्यपाल डॉ. अजीज कुरैशी ने अपनी उपस्थिति से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। ● सदस्या ने गिल्ड ऑफ सर्विसेज द्वारा लखनऊ में 'विधवा सशक्तिकरण और सम्मिलन' विषय पर आयोजित एक जागरूकता कार्यक्रम में भी भाग लिया। ● श्रीमती शफीक ने निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिए आयोजित किए गए राज्य स्तरीय अधिगम कार्यक्रम में भाग लिया और सीतापुर जिले में लिंग-आधारित हिंसा की बात उठाई। ● मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने 'राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस' पर भारतीय मानव अधिकार संघ, सीतापुर का भी दौरा किया। ● उक्त सदस्या यूनाइटेड किंगडम और भारत में रह रहे मुस्लिमों के बीच संबंधों को मजबूत बनाने, ब्रिटिश समाज और लोक जीवन में मुस्लिमों के अनुभवों पर चर्चा करने के लिए गठित प्रतिनिधिमंडल में शामिल थीं। यह कार्यक्रम नई दिल्ली स्थित ब्रिटिश उच्चायोग की पहल पर आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न संगठनों, समुदाय नेताओं, विद्यार्थियों, सिविल सोसायटी के सदस्यों, महिला कार्यकर्ताओं और मीडिया की बैठकें हुई थीं।

❖ डॉ. चारु वलीखन्ना 'घरेलु कामगारों के लिए संरक्षी विधायन की आवश्यकता' पर हैदराबाद में आयोजित एक गोलमेज चर्चा में मुख्य अतिथि थीं। ● डॉ. वलीखन्ना ने अखिल भारतीय महिला सम्मेलन द्वारा 'विधिक परिप्रेक्ष्य - कार्यस्थल पर यौन शोषण' नामक विषय पर आयोजित एक सत्र की अध्यक्षता की। ● उक्त सदस्या ने न्यायाधीश सुनंदा भंडारे फाउंडेशन द्वारा 'भारतीय सिनेमा में स्त्रियों का प्रतिनिधित्व और इससे आगे' नामक विषय पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर अपने विचार प्रस्तुत किए। ● डॉ. वलीखन्ना दूरदर्शन केंद्र, नई दिल्ली द्वारा आयोजित 'कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न' नामक सीधे प्रसारण में मुख्य अतिथि थीं। ● डॉ. वलीखन्ना इंदिरापुरम पब्लिक स्कूल, गाजियाबाद द्वारा आयोजित वार्षिक दिवस उत्सव 2013 थीम - 'उसे जीने दो' में मुख्य अतिथि थीं। ● सदस्या ने महिलाओं की दशा पर उच्च स्तरीय समिति द्वारा 'महिला और न्यायिक तंत्र' नामक विषय पर नई दिल्ली में आयोजित एक राष्ट्रीय चर्चा में भाग लिया। इस अवसर पर बोलते हुए सदस्या ने लिंग संबंधी मुद्दों पर न्यायपालिका को संवेदनशील बनाने का सुझाव दिया ताकि भारत में लिंगोन्मुख दांडिक न्यायशास्त्र विकसित हो सके। ● डॉ. वलीखन्ना वार विडो एसोसिएशन द्वारा 'विजय दिवस' मनाने के लिए नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में विशेष अतिथि थीं। ● डॉ. वलीखन्ना हील इंडिया द्वारा नालंदा में मुख्यतः महिलाओं के विरुद्ध घरेलु हिंसा पर केंद्रित एक कार्यक्रम 'महिलाओं की सुरक्षाः एक चुनौती' में मुख्य अतिथि थीं। ● पर्यटक शहर में महिलाओं की सुरक्षा की समीक्षा करने के लिए उन्होंने बोधगया का दौरा किया। उन्होंने महिला थाने का भी दौरा किया। बाद में, उन्होंने महामहिम 17वें कर्मापा त्रिनले थाये दोरजे से भेंट की जिन्होंने कहा कि लिंग संबंधी मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करते समय वह राष्ट्रीय महिला आयोग से विचार मांगेंगे।

'विजय दिवस' मनाने के लिए आयोजित किए गए समारोह में उपस्थित डॉ. मोहिनी गिरी (बाएं से दूसरी), डॉ. चारु वलीखन्ना (दाएं से दूसरी)

❖ सामाजिक कार्यकर्ता श्री विद्या भूषण रावत की अगुआई में युवा मानववादियों के एक दल द्वारा जिला फतेहपुर, उत्तर प्रदेश में आयोजित एक दस-दिवसीय यात्रा 'मानववादी मेले' में सदस्या हेमलता खेरिया मुख्य अतिथि थी। इस मेले में लगभग 1000 लोगों ने भाग लिया जिनमें मुख्यतः हाथ से मल ढोने वाले समुदाय की महिलाएं शामिल थीं। इस अवसर पर बोलते हुए, श्रीमती खेरिया ने कहा कि यद्यपि भारतीय संविधान ने अस्पृश्यता और जाति आधारित भेदभाव का उन्मूलन कर दिया है, परंतु ये प्रथाएं अभी भी कायम हैं। उन्होंने कहा कि यह देखकर दुःख होता है कि वाल्मीकि महिलाओं अथवा हाथ से मल ढोने के कार्य में लगी महिलाओं को अस्पृश्यता का सामना न केवल ऊंची जाति से करना पड़ता है बल्कि अन्य दलित समुदायों से भी। ● राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती ममता शर्मा और श्रीमती हेमलता खेरिया ने श्रीमती सिमी सहनन द्वारा निर्देशित और स्टेज कोच थिएटर ग्रुप द्वारा आयोजित एक मंचीय नाटक 'सीतायाना' को देखा। इस नाटक में सीता की कथा दर्शायी गई है और पुरुष मानसिकता, जिससे अभी भी महिलाओं की नियति लिखी जाती है, को उजागर किया है। ● श्रीमती खेरिया ने एक सामाजिक कार्यकर्ता मानसी प्रधान के साथ मिलकर चक्रवात-प्रभावित महिलाओं से मिलने के लिए खुर्दा जिले के बनपुर ब्लॉक, टुंड्रापुट और गोपे क्षेत्र, पुरी जिला 'हरिजन सही' का दौरा किया। ● श्रीमती खेरिया ने नई दिल्ली में 'महिलाओं के लिए न्याय' विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी और कार्यशाला में भाग लिया।

'मानववादी मेले' में उपस्थित श्रीमती हेमलता खेरिया (बीच में)

❖ ओएनजीसी अधिकारी महिला समिति द्वारा नोएडा में आयोजित क्षेत्र स्तरीय वकतृत्वकला, गायन और नृत्य प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या लालडिंगलियानी साइलो मुख्य अतिथि थीं।

अधिक सूचना के लिए देखिए हमारा वेबसाइट : www.ncw.nic.in

राष्ट्रीय महिला आयोग, 4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 द्वारा प्रकाशित। सम्पादक : गौरी सेन। आकांक्षा इम्प्रेशन, 18/36, गली नं. 5, रेलवे लाइन साईड, आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-5 द्वारा मुद्रित।